UPKU010058292018

<u>न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट–II, कुशीनगर स्थान पड़रौना।</u>

उपस्थितः **सत्यपाल सिंह प्रेमी (H.J.S.)–UP01829**

सत्र वाद संख्या–487/2018

सरकार बनाम इरफान आदि,

उत्तर प्रदेश राज्य –––––अभियोजन पक्ष

बनाम

1. फैयाज पुत्र नवी रसूल,
साकिन– रामधाम पोखरा विशुनपुरा, थाना–कोतवाली पडरौना, जिला–कुशीनगर।
2. शालू पुत्र मजीद
साकिन–गुदरी टोला पवरिया,थाना–कोतवाली पडरौना, जिला–कुशीनगर।

–––अभियुक्तगण

मु०अ०सं०–868/2015
धारा–41,411,413,419,420 भा०दं०सं०,
थाना–कोतवाली पडरौना,
जिला–कुशीनगर।

<u>20.03.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण फैयाज व शालू जिला कारागार से उपस्थित है। अभियुक्तगण फैयाज व शालू द्वारा पूर्व की तिथि पर जुर्म स्वीकारोक्ति हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिस पर जिला कारागार देवरिया से आख्या आहूत की गयी।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण फैयाज व शालू के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण का यह पहला अपराध है। अभियुक्तगण एक गरीब परिवार की जिम्मेदार और अकेले कमाने वाले व्यक्ति है तथा मुकदमा लड़ने में अक्षम है। अभियुक्तगण लगभग 40 माह तक कारावास में व्यतित कर चुके है। अभियुक्तगण स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे है। अतः अभियुक्तगण को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण फैयाज व शालू व सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर मोटर साइकिल की चोरी करते थे, जिन्हें वादी मुकदमा S.S.I. रमेश सिंह यादव द्वारा मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया

कि वे जिला कारागार में लगभग 40 महिनो से है। जेल अधीक्षक द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार अभियुक्त शालू दिनांक 07.05.2015 से 14.06.2018 तक व दिनांक 05.02.2025 से वर्तमान में इस कारागार में निरूद्ध है तथा अभियुक्त फैयाज दिनांक 07.05.2015 से 26.07.2018 तक व दिनांक 15.01.2025 से वर्तमान में इस कारागार में निरूद्ध है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभियुक्तगण उपरोक्त अभी भी जेल में निरूद्ध है। अभियुक्तगण स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार कर रहे है।

ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण शालू व फैयाज के जुर्म स्वीकृति के आधार पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा– 41,411,413,419,420 भा०दं०सं० के अपराध हेतु दोष सिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण शालू व फैयाज को मु०अप०सं०–868/2015, थाना कोतवाली पडरौना, जिला कुशीनगर में आरोपित आरोप अंतर्गत धारा– 41,411, 413, 419,420 भा०दं०सं० के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। दोषसिद्ध शालू व फैयाज न्यायिक अभिरक्षा में है। दोषसिद्ध को दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक 20.03.2025

(सत्यपाल सिंह प्रेमी)
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी–II
कुशीनगर, स्थान पडरौना।

<u>लन्च उपरान्त</u>–

पत्रावली दण्ड के बिन्दु पर सुनवायी हेतु पेश हुई।

दोषसिद्ध शालू व फैयाज की तरफ से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि अभियुक्तगण का यह पहला अपराध है तथा वे बहुत ही गरीब व्यक्ति है तथा घर के अकेले कमाने वाले है और दोषसिद्ध के घर से कोई पैरवी करने अदालत नही आता है। अतः कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई।

विद्वान अपर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा कथन किया गया है कि दोषसिद्ध के द्वारा अपराध कारित किया गया है। अतः अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाय।

न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान अपर जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

न्यायालय के द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि दोषसिद्ध शालू व फैयाज की निरूद्धि अवधी प्रस्तुत मामले मे लगभग सैतीस महिनों (37 months) तक रही है। दोषसिद्ध प्रस्तुत मामले में अभी न्यायिक अभिरक्षा में है।

उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थिति के मध्यनजर न्यायालय इस मत का है कि दोषसिद्ध शालू व फैयाज को धारा– 41,411,413,419,420 भा०दं०सं० में उनके द्वारा जेल में बिताई गई अवधि से तथा अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक को मु० 2,000/– रू० के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड न देने की दशा में प्रत्येक को एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

दोषसिद्ध शालू व फैयाज को आरोप अंतर्गत को आरोप अंतर्गत धारा– 41,411,413,419,420 भा०दं०सं० में जेल में बिताई गई अवधि तथा अभियुक्तगण प्रत्येक को मु० 2,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। दोषसिद्ध शालू व फैयाज द्वारा अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर एक–एक सप्ताह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

दोषसिद्ध शालू व फैयाज द्वारा पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि इस सजा में समायोजित होगी।

निर्णय की निःशुल्क प्रति दोषसिद्ध शालू व फैयाज को प्रदान की जाय।

दिनांक 20.03.2025 **(सत्यपाल सिंह प्रेमी)**
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी–II
कुशीनगर, स्थान पडरौना।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा दिनांकित एवं हस्ताक्षिरत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 20.03.2025 **(सत्यपाल सिंह प्रेमी)**
अपर सत्र न्यायाधीश, एफ०टी०सी–II
कुशीनगर, स्थान पडरौना।